

Topic - राज्य के कार्य (उदारवाद)

राज्य को मानवीय कल्याण का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन माना जा सकता है। मानव समाज के प्रत्येक काल में राज्य का कुछ विधायित्व कार्य रहा है जो कि जनता के कल्याण के लिये किये जाते रहे हैं। समय के साथ राज्य के स्वरूप एवं लक्षण में परिवर्तन होते रहे हैं और उसी के अनुरूप उसके कार्य में भी परिवर्तन होते रहे हैं। राज्य के कार्य-क्षेत्र के संबंध में अलग-अलग विचारधाराएँ रही हैं। इनमें से प्रमुख हैं - उदारवाद, समाजवाद तथा लोककल्याणकारी राज्य।

उदारवाद :- उदारवाद के मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं -

- (i) उदारवादी विचारधारा का सबसे प्रमुख तत्व मानवीय विवेक तथा बुद्धि में आस्था है। इस दृष्टिकोण को अपनकर वह स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित करता है।
- (ii) उदारवाद इतिहास तथा परम्पराओं को बिना बुद्धिलोयता न ही का विरोध करता है। इसका विश्वास है कि यदि प्रगति के लिए इतिहास तथा परम्पराओं को पूर्ण विद्रोह किया जाना आवश्यक हो तो इस प्रकार का विद्रोह अवश्य किया जाना चाहिए।
- (iii) उदारवाद के अनुसार मनुष्य जन्म से ही

स्वतंत्र उत्पन्न होता है और स्वतंत्रता जल्दी प्राकृतिक एवं जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जीवन पर किसी स्वेच्छाचारी शक्ति का नियंत्रण न हो और ऐसा वातावरण हो कि व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार आचरण कर सके।

(iv) उदारवादियों का मूल आधार यह है कि और वे व्यक्ति को लक्ष्य मानकर ही शक्ति बढ़ते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति का मौरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कल्याण उसकी रचनात्मक शक्तियों का विकास ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज है।

(v) उदारवादियों का विश्वास रहा है कि व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं जो उसे जन्म से ही मिलते हैं। ये अनुत्लंघनीय अधिकार हैं।

(vi) उदारवाद धर्मनिरपेक्ष राज्य में विश्वास करता है, जिसके अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। राज्य के द्वारा अपने सभी नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए।

(vii) उदारवाद शासकीय स्वेच्छाचरिता

का विरोध करना है और इस बात का प्रति-
पादन करना है कि शासन में व्यक्ति की
जैसे वस्तु कायन की प्रधानता होनी चाहिए।

(viii) उदारवादी समाज और राज्य को प्राकृतिक
मंती वस्तु काजिम मानते हैं और उनका विचार
है कि इनका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा अपनी
कुछ विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने
के लिए ही किया गया। व्यक्ति अपने
आप में पूर्ण है, समाज और राज्य का
संबंध उन के द्वारा अपनी निश्चित योजना
के अनुसार किया गया है और इस
नाते व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त हो
जाना है कि वे समाज और राज्य के
संबंध में अपनी आवश्यकता नुसार संशोधन-
परिवर्तन का कार्य कर सकें।

Khusbu Kumari